9700:2005

सर्वोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
अभियंत्रण अनुभाग
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

SQMS

संख्या /ए–3/1052 दिनांक :

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर मा0 अध्यक्ष महोदय के अनुमोदनोंपरान्त निम्नलिखित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा निम्नानुसार प्रदान की जाती है:–

क0सं0	परियोजना आई0डी0नं0	योजना/परियोजना का नाम/ कार्य का नाम	परियो0 की लागत (रू0 लाख में)	लेखा शीर्षक सं0
1–	142047	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अफोर्डेबिल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के अन्तर्गत सिविल लाइन्स जनपद गोण्डा में 528 नग (जी+3) प्रकार के भवनों का निर्माण कार्य।	2705.33	259/01/18–19

1– उक्त कार्य मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार कराया जायेगा।
2– प्रशा0स्वी0से लेकर कार्य पूर्ण होने की स्थिति तक उक्त प्रोजेक्ट आई.डी.न0 के साथ ही संदर्भित किये जायेंगे।
3– प्राक्कलन में ली गयी दरों को आधार न माना जाय। निविदा आदि की कार्यवाही के उपरान्त प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जाय।
4– स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय–समय पर परिषद द्वारा निर्गत परिषदादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
5– परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित मात्राओं, कार्य प्राविधानों एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मानक व गुणवत्ता के निर्माण के समस्त सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।
6– परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से परियोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
7– खण्ड द्वारा लेबर सेस/जी0एस0टी0 की धनराशि का भुगतान नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को किया जायेगा।
8– परियोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
9– कार्य की लागत में आगे कोई वृद्धि अनुमन्य नही होगी तथा कार्य की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जायगी।
10– उक्त कार्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त 18 माह में अवश्य पूर्ण करा लिया जाये।
11– प्रश्नगत परियोजना का सम्बन्धित खण्ड द्वारा रेरा (UPRERA) में पंजीकरण अवश्य करा लिया जाये। भवनों का रेरा में पंजीकरण लाभार्थियों की संख्या के आधार पर चरणों में कराया जाय।
12– प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा तकनीकी स्वीकृति निर्गत होने के पश्चात कार्य की निविदाएं इस प्रतिबन्ध के साथ आमंत्रित की जायेगी कि पंजीकरण के उपरान्त पात्र लाभार्थियों की वास्तविक संख्या के आधार पर निविदाए स्वीकृत की जायें एवं तद्नुसार ही भवनों का निर्माण कराया जाये।

AEI
उ0प्र0
21/12

(आर0 बी0 यादव)
अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0)

पृ0सं0: 5730 /ए–3/1052 दिनाक:21.12.2018

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. निजी सचिव, आवास आयुक्त/अ0आ0आ0 एवं सचिव/मुख्य अभियन्ता, उ.प्र.आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ
4. अधीक्षण अभियन्ता (प्रोजेक्ट)/तृतीय वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता(पी0–1)/निर्माण खण्ड–द्वितीय, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6. मूल्यांकन/सम्परीक्षण अधिकारी, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल हेतु।

21.12.18
अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0)

Sri Hari ... आवश्यक कार्यवाही
(1) T.S हेतु ...
(2) निविदा हेतु B.O.Q ...
(3) Rera में पंजीकरण